न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 58/2020
CIS No. :– TS/58/2020
CNR No. :– BRWC22–000094–2020

मजीद मियाँ बनाम् **रामचन्द्र प्रसाद कुशवाहा एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
25.01.2022	अभिलेख वर्चुअल मोड में पेश हुयी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वर्चुअल मोड द्वारा अभिलेख में पैरवी की गयी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल मोड द्वारा संचालित कार्यवाही में उपस्थित हुये। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दिनांक 23.08.2021 को अभिलेख पर उपस्थित हुए परन्तु इनके द्वारा अभी तक बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया गया है। इनको बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित करते हुए इनके विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित की जाए। साथ ही वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 पर सम्मन का तामीला नहीं हो पा रहा है। प्रतिवादी संख्या 3 पर तामीला जरिये प्रकाशन कराया जाए। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि आदेश दिनांक–23.08.2021 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अभिलेख पर उपस्थित आ चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु अवसर प्रदान किया गया तदोपरान्त करोना महामारी के कारण न्यायालय की कार्यवाही बाधित रही। अत: प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित है कि प्रतिवादी संख्या 3 पर उभय प्रकार से तामीला हेतु पैरवी की गयी है। रजिस्ट्री रसीद अभिलेख पर उपलब्ध है। रजिस्ट्री तलवाना अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। रजिस्ट्री किये	

न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 58/2020
CIS No. :– TS/58/2020
CNR No. :– BRWC22–000094–2020

मजीद मियाँ बनाम् **रामचन्द्र प्रसाद कुशवाहा एवं अन्य**

लगातार **25.01.2022**	लगभग 1½ माह व्यतीत हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 3 पर तामीला नहीं हुआ है। अत: ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी संख्या 3 पर सम्मन का तामीला द्वारा प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। वादी को आदेशित किया जाता है कि वे गजट का प्रकाशन किसी ऐसे समाचारपत्र जिसका परिचालन सामान्यत: प्रतिवादी संख्या 3 के निवास स्थान पर होता हो में प्रकाशित करावें। अभिलेख वास्ते बयान तहरीरी दाखिल करने/प्रतिवादी संख्या 3 की उपस्थिति हेतु दिनांक–02.03.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष–4 नरकटियागंज	